भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उप खण्ड (2) में प्रकाशनार्थ
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन

अधिसूचना सं0 26 (आर ई - 2010) /2009-2014

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी, 2011

विषय : संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोपीय संघ को शहद का निर्यात ।

सां.आ.(अ) विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैरा 2.1 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, तत्काल प्रभाव से अधिसूचना संख्या 66 (आर ई - 2008)/ 2004-2009 दिनांक 01.12.2008 में निम्नलिखित संशोधन करती है ।

2. अधिसूचना संख्या 66 (आर ई - 2008)/ 2004-2009 दिनांक 01.12.2008 के द्वारा निर्यात आयात मदों के आई टी सी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 में संयुक्त राज्य अमेरिका को शहद के निर्यात से संबंधित क्रम सं0 33क के साथ एक नया अध्याय 4 जोड़ा गया था । अब, इस अधिसूचना के द्वारा निर्यात एवं आयात मदों के आई टी सी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 में अध्याय 4 की मौजूदा प्रविष्टियाँ निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाती हैं :

"अध्याय 4

क्रम सं0	टैरिफ मद एचएस कोड	यूनिट	मद का विवरण	निर्यात नीति	प्रतिबन्ध की प्रकृति
33क	04090000	किग्रा.	प्राकृतिक शहद	मुक्त	संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपियन संघ (ईयू) को शहद का निर्यात निम्नलिखित शर्तों के अनुसार होगा : 1. निर्यात किए जाने वाला शहद 'पूरी तरह से प्राप्त' केवल

					भारतीय मूल शहद होगा, और; 2. भारतीय शहद को किसी अन्य देश के शहद के साथ मिलाने की अनुमति नहीं होगी ।"

3. इस अधिसूचना का प्रभाव :-

अब, उपर्युक्त पैरा 2 की तालिका में कॉलम 'प्रतिबन्ध की प्रकृति' में उल्लिखित शर्तें यूरोपीय संघ को भी शहद के निर्यात पर लागू होंगी । पहले यह केवल संयुक्त राज्य अमेरिका को शहद के निर्यात पर लागू थी ।

(अनुप के0 पूजारी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई मेल :- dgft@nic.in

(फा0सं0 01/91/171/52/ए एम 09/एक्सपोर्ट सेल से जारी)